न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी महेन्द्र लोढ़ा, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 83/2017 दायरा दिनांक : 07.07.2017

उनवान

देव चन्द आयु 73 साल आत्मज भवाना, जाति लोधा, निवासी ग्राम दूदियाखेड़ी, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

.... अपीलांट

बनाम

1– शिवसिंह आयु 23 साल पुत्र नाथू, जाति लोधा, निवासी ग्राम दूदियाखेड़ी, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

2– रोडी बाई आयु 43 साल पुत्री नाथू, जाति लोधा, निवासी ग्राम दूदियाखेड़ी, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

3– धापू बाई आयु 38 साल पुत्री नाथू, जाति लोधा, निवासी ग्राम दूदियाखेड़ी, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

4– कमली बाई आयु 33 साल पुत्री नाथू, जाति लोधा, निवासी ग्राम दूदियाखेड़ी, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

5– मांगीबाई आयु 28 साल पुत्री नाथू, जाति लोधा, निवासी ग्राम दूदियाखेड़ी, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

6– केसर बाई आयु 61 साल बेवा नाथू, जाति लोधा, निवासी ग्राम दूदियाखेड़ी, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

7– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील अकलेरा जिला झालावाड़

.... रेस्पोडेंट

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

अपील संख्या 66 / 2017 दायरा दिनांक : 19.06.2017

उनवान

देव चन्द आयु 73 साल आत्मज भवाना, जाति लोधा, निवासी ग्राम दूदियाखेड़ी, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

.... अपीलांट

बनाम

1– शिवसिंह आयु 23 साल पुत्र नाथू, जाति लोधा, निवासी ग्राम दूदियाखेड़ी, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

2– रोडी बाई आयु 43 साल पुत्री नाथू, जाति लोधा, निवासी ग्राम दूदियाखेड़ी, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

3– धापू बाई आयु 38 साल पुत्री नाथू, जाति लोधा, निवासी ग्राम दूदियाखेड़ी, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

4– कमली बाई आयु 33 साल पुत्री नाथू, जाति लोधा, निवासी ग्राम दूदियाखेड़ी, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

5– मांगीबाई आयु 28 साल पुत्री नाथू, जाति लोधा, निवासी ग्राम दूदियाखेड़ी, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

6– केसर बाई आयु 61 साल बेवा नाथू, जाति लोधा, निवासी ग्राम दूदियाखेड़ी, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

7– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील अकलेरा जिला झालावाड़

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित श्री संजय सक्सैना अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री इन्द्रलाल गुप्ता अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय दिनांक : 18.11.2020

ये दोनों अपीले समान पक्षकार एवं समान प्रकृति की होने के कारण इनका निस्तारण एक साथ किया जा रहा है ।

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

ये दोनों अपीले अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, अकलेरा के प्रकरण संख्या – 184/2014 में पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 12.06.2015 व संशोधित प्राथमिक डिक्री दिनांक 12.12.2015 एवं निर्णय व फाईनल डिक्री दिनांक 10.06.2016 व संशोधित फाईनल डिक्री दिनांक 30.05.2017. से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील संख्या 83/2017 के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि रेस्पोडेंट नम्बर 1 लगायत 6 ने एक दावा अपीलांट के विरूद्ध पेश किया था । इस दावे के सम्मन अपीलांट को कभी प्राप्त नहीं हुए । अपीलांट को सूचना के बिना तथा अपीलांट को सुने बिना दिनांक 12.06.2015 को निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री पारित कर दी । खातेदार लीलाबाई के उत्तराधिकारीगण जीवित है लेकिन रेस्पोडेंट नम्बर 1 लगायत 6 ने लीलाबाई को लाऔलाद बताकर तथ्यों को छुपाकर न्यायालय से गलत रूप से निर्णय एवं डिक्री प्राप्त कर ली । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय व प्राथमिक डिक्री पारित करने में कानूनी एवं तथ्यपूर्ण त्रुटि की है । अपीलांट 73 साल से अधिक का वृद्ध व्यक्ति है तथा सुनता, समझता नहीं है । अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय के सम्मन नहीं मिले । किसी भी सम्मन पर अपीलांट के हस्ताक्षर नहीं हैं । रेस्पोडेंट कम 1 लगायत 6 ने खातेदार लीलाबाई को लाऔलाद फौत होना वाद पत्र के पैरा नम्बर 2 में गलत रूप से लिखा है । जबकि लीलाबाई शादीशुदा थी । लीलाबाई का राधेश्याम निवासी घाटोली से विवाह हुआ था लीला बाई के एक लड़का चिन्टू व एक लड़की आशा है । खातेदारी लीलाबाई के उत्तराधिकारीगण जीवित है । रेस्पोडेंट कम 2 लगायत 5 की शादी हो चुकी है तथा सभी अपने अपने ससुराल में निवास कर रही हैं। इनका विवादग्रस्त आराजी पर कब्जा भी नहीं है । अपीलांट वादग्रस्त आराजी के सहखातेदार हैं । अपीलांट का वादग्रस्त आराजी पर लगातार आज दिनांक तक बहैसियत खातेदार कब्जा निर्बाध रूप से चला आ रहा है । अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 12.12.2015 को अपीलांट को सुने बिना प्राथमिक डिक्री में संशोधन कर दिया । प्राथमिक डिक्री में संशोधन से पूर्व अपीलांट को कोई नोटिस नहीं दिया गया । अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

को लोक अदालत में निस्तारण करने हेतु किसी भी पक्षकार ने प्रार्थना पत्र नहीं दिया लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण को मनमाने रूप से लोक अदालत में रख दिया । अधीनस्थ न्यायालय ने बिना सभी पक्षकार की सहमति के तथा बिना उपस्थिति में प्रकरण का गैरकानूनी रूप से निस्तारण कर दिया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवायी का समुचित अवसर नहीं दिया । रेस्पोडेंट ने फ्राड एवं मिसरिप्रजेन्टेशन करके अधीनस्थ न्यायालय से डिक्री प्राप्त की है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को जवाबदेही प्रस्तुत करने का तथा दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने का तथा मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत करने का उचित एवं पूर्ण अवसर नहीं दिया । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री कानून, तथ्य एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होने से निरस्त होने योग्य है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 12.06.2015 व संशोधित प्राथमिक डिक्री दिनांक 12.12.2015 को निरस्त किया जावे ।

अपील संख्या 66/2017 के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादग्रस्त आराजी अपीलांट के शामलाती कब्जे काश्त एवं खातेदारी की थी लेकिन रेस्पोडेंट ने अधीनस्थ न्यायालय से तथ्यों को छुपाकर गलत रूप से निर्णय एवं फाईनल डिक्री प्राप्त कर ली इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित करने में कानूनी एवं तथ्य पूर्ण त्रुटि की है । अपील में अपीलांट ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 10.06.2016 को पत्रावली राजस्व लोक अदालत में पेश हुई । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को तथा पक्षकारान को कोई नोटिस जारी नहीं किये । अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलांट से प्रस्ताव बंटवारा पर कोई ऐतराज नहीं मांगे लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 10.06.2016 को ही बिना किसी आधार के फाईनल डिक्री पारित की दी । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा फाईनल डिक्री का आदेश पारित करते समय बंटवारे के नियमों का कोई ध्यान नहीं रखा गया मिट्स एवं बाउन्ड्स के आधार पर बंटवारा नहीं किया गया, पक्षकारान के आराजीयात में अलग अलग कब्जे का भी ध्यान नहीं रखा गया है । तहसीलदार ने स्वयं ने बंटवारा प्रस्ताव मौके पर जाकर तैयार नहीं किये हैं ।

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

अपीलांट को वक्त पार्टीशन मौके पर नहीं बुलाया गया । पार्टीशन रिपोर्ट के अनुसार पटवारी हल्का के द्वारा प्रत्येक खसरा नम्बर के जो टुकड़े किये हैं वह बंटवारे के नियमों के सर्वथा विपरीत है । पार्टीशन रिपोर्ट बंटवारे के नियमों के सर्वथा विपरीत है । पटवारी ने मिट्स एवं बाउन्ड्स के आधार पर बंटवारा नहीं किया है । जिसके आधार पर फाईनल डिक्री का आदेश पारित नहीं किया जा सकता है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने कानूनी बिन्दुओं की ओर ध्यान नहीं दिया इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश एवं फाईनल डिक्री पारित करने में कानूनी त्रुटि की है । विवादग्रस्त आराजी अपीलांट के शामलाती कब्जे, काश्त एवं खातेदारी की आराजी थी, जिसमें अपीलांट का 1/2 हिस्सा है । अपीलांट ने अपने 'हिस्से की आराजी पर अमरू0 का बगीचा लगा रखा है । इस प्रकार सही तथ्यों को छुपाकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय एवं फाईनल डिक्री डिक्री प्राप्त की है जिससे अपीलांट के हक, हिस्सा प्रभावित होता है । रेस्पोडेंट कम 1 लगायत 6 ने खातेदार लीलाबाई को लाऔलाद फौत होना वाद पत्र के पैरा नम्बर 2 में गलत रूप से लिखा है । जबकि लीलाबाई शादीशुदा थी । लीलाबाई का राधेश्याम निवासी घाटोली से विवाह हुआ था लीला बाई के एक लड़का चिन्टू व एक लडकी आशा है । खातेदारी लीलाबाई के उत्तराधिकारीगण जीवित है । रेस्पोडेंट कम 2 लगायत 5 की शादी हो चुकी है तथा सभी अपने अपने ससुराल में निवास कर रही हैं। इनका विवादग्रस्त आराजी पर कब्जा भी नहीं है । अपीलांट वादग्रस्त आराजी के सहखातेदार हैं । अपीलांट का वादग्रस्त आराजी पर लगातार आज दिनांक तक बहैसियत खातेदार कब्जा निर्बाध रूप से चला आ रहा है । अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 10.06.2016 को अपीलांट को सुने बिना फाईनल डिक्री में संशोधन कर दिया । फाईनल डिक्री में संशोधन से पूर्व अपीलांट को कोई नोटिस नहीं दिया गया । अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण को लोक अदालत में निस्तारण करने हेतु किसी भी पक्षकार ने प्रार्थना पत्र नहीं दिया लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण को मनमाने रूप से लोक अदालत में रख दिया । अधीनस्थ न्यायालय ने बिना सभी पक्षकार की सहमति के तथा बिना उपस्थिति में प्रकरण का गैरकानूनी रूप से निस्तारण कर दिया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

को सुनवायी का समुचित अवसर नहीं दिया । रेस्पोडेंट ने फ्राड एवं मिसरिप्रजेन्टेशन करके अधीनस्थ न्यायालय से डिक्री प्राप्त की है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को जवाबदेही प्रस्तुत करने का तथा दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने का तथा मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत करने का उचित एवं पूर्ण अवसर नहीं दिया । अधीनस्थ न्यायालय ने फाईनल डिक्री में रेवेन्यु बोर्ड के नियम 18 से 21 की पालना नहीं की है । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री कानून, तथ्य एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होने से निरस्त होने योग्य है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व फाईनल डिक्री दिनांक 10.06.2016 व संशोधित फाईनल डिक्री दिनांक 30.05.2017 को निरस्त फरमाया जावे ।

दोनों अपीलों के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 12.06.2017 को हुई । जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है । अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

दोनों अपीले प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेंट नम्बर 1 लगायत 6 ने अपीलांट के विरूद्ध दावा किया । अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी सम्मन प्राप्त नहीं हुए । बिना कोर्ट के आदेश के चस्पानगी बताई गई तथा बिना सूचना के एक तरफा निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 12.12.2015 को पारित किया गया है । प्राथमिक डिक्री दिनांक 12.12.2015 में संशोधन भी बिना नोटिस के कर दिया । खातेदार लीलाबाई को लाऔलाद फौत बताया जबकि उसका पति व लड़का, लड़की है फैक्ट छुपाये । अधीनस्थ न्यायालय ने लोक अदालत में पक्षकारान की बिना सहमति के फैसला कर दिया गया । हमें सुनवायी का अवसर नहीं दिया गया । प्राथमिक डिक्री गलत है फाईनल डिक्री में हमें नोटिस देन चाहिए जो नहीं दिये गये । राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 की पालना की जानी चाहिए जो नहीं की

(महेन्द्र सोनी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
कोटा (राज.)

गई । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हमें कोई नोटिस नहीं दिया गया है । विद्वान अभिभाषक ने अपने पक्ष के समर्थन में आर आर टी 2017 (1) पेज 689 व आर आर टी 2017 (2) पेज 918 पेश की ।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने कथन किया कि सम्मन इनलीगल है तो इनको अधीनस्थ न्यायालय में करना चाहिए । अधीनस्थ न्यायालय ने रेकार्ड के अनुसार डिक्री जारी की है जिसमें कोई त्रुटि नहीं हैं । राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 की पालना के लिए अधीनस्थ न्यायालय को प्रकरण रिमाण्ड कर सकते हैं ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । दोनों अपीलों में न्याय हित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विलम्ब का शमन किया जाता है ।

अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय का अवलोकन किया गया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध आदेशिका के अनुसरण में सम्मन की चस्पानगी कोर्ट के आदेश से बतायी गई है । सम्मन की तामील दो गवाहों की उपस्थिति में पायी गयी है । अधीनस्थ न्यायालय ने लोक अदालत में समस्त पक्षकारों की सहमति के बिना ही निर्णय पारित किया गया है । प्राथमिक डिक्री में संशोधन भी बिना नोटिस के ही कर दिया गया है । प्राथमिक डिक्री जारी करने के पश्चात् फाईनल डिक्री में भी पक्षकारों को नोटिस दिया जाना चाहिए जो नहीं दिया गया । राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार किया जाना हम उचित समझते हैं ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर दोनों अपीले अपील संख्या 83/2017 एवं 66/2017 अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 12.06.2015 व संशोधित प्राथमिक डिक्री दिनांक 12.12.2015 एवं निर्णय व फाईनल डिक्री दिनांक 10.06.2016 व संशोधित फाईनल डिक्री दिनांक 30.05.2017 अपास्त किये जाते हैं । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को सुनवायी एवं साक्ष्य पेश करने का का समुचित अवसर प्रदान करे एवं राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 की पूर्ण पालना कर प्रकरण में नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 28.01.2021 को उपस्थित होवे ।

निर्णय आज दिनांक 18.11.2020 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा